



FORM No. III

फॉर्म नंबर

दिनांक

पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी

जिला

विजौरिया

30/11

उपखण्ड अधिकारी

किसान सुकरवा

11. 1. 24

दस्तावेज का संवेदनशील रूप प्रतिक्रिया देना

प्रार्थना पत्र सींग से बाहर जाय फिर सुझाव - प्रार्थना पत्र 22 रजिस्टर किया जाकर अग्रार्थी को नॉटिस भेज नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वारंते तलबी/जवाब दिनांक 15/ 9 2024 को पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विजौरिया

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/5/24 को वास्ते 22/5/24 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

16/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीयों की तामील प्रार्थना हुई, जिले शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीयों के सिद्ध हूँ पक्षीय शोहरा जारी किए गए। पत्रावली वास्ते बहल आगामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विजौरिया जिला-भीलवाड़ा

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्रार्थी उपस्थित, पत्रावली में शोहरा जारी किए गए। पत्रावली में शोहरा जारी कर तलबीसफा विजौरिया के पास के लिए लिखा जावे। पत्रावली फॉर्मल्युमर दोगले नंबर से कम होवे दाखिल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विजौरिया जिला-भीलवाड़ा

1-बीता 500 बीता बाबूलाल जाति बीता उम वयस्क निवासी जातम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

अधीन

इनाम

1- रामकुमार पिता रामू जाति बीता उम वयस्क निवासी जातम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-सायनारायण पिता सावता जाति बीता उम वयस्क निवासी जातम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

3- मथुरा पिता माधू जाति बीता उम वयस्क निवासी जातम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

4-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महेन्द्रा बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

:-आदेश:-

दिनांक 28/05/24

प्रार्थनापत्र गोर्धन पुत्र सुरता बाबूलाल पुत्र सुरता ने जरिये अभिभाशक श्री दीपक मीणा एडवोकट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 509 आराजी नंबर 514/12 रकबा 0.1619 हैक्टेयर आराजी नंबर 514/14 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3238 भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबन्दी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



दिनांक 11/5/24

11/5/24

सूचना

राजस्थान

विज्ञापित

विभाग राजस्थान सरकार

11/5/24



1-बीरा देवी पति बाबूनाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

बनाम

1- रामकुमार पिता माधू जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-सत्यनारायण पिता सांवता जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

3- मथुरा पिता माधू जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

4-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)  
-विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 509 आराजी नंबर 514/12 रकबा 0.1619 हैक्टेयर आराजी नंबर 514/14 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3238 भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा  
बिजौलिया